

प्रेस नोट थाना चौरीचौरा दिनांक 29-06-2021

धोखाधड़ी के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर व पुलिस अधीक्षक उत्तरी व क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा व प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार अवस्थी चौरी चौरा के कुशल दिशा निर्देशन मे मु0अ0सं0 232/2021 धारा 420/406/120B/504/506 भादवि तथा मु0अ0सं0 233/2021 धारा 420/406/120B/504/506 भादवि तथा से सम्बंधित अभियुक्त संदीप चौहान पुत्र शिवचन्द्र चौहान निवासी ग्राम भौवापार चौबे / चौहान टोला थाना चौरी चौरा गोरखपुर, दिनांक 29.06.2021 को उ0नि0 रविसेन यादव मय हमराह हे0का लल्लन यादव , का0 संतोष मौर्या द्वारा सरैया बाजार कर्मा बाबा मंदिर से समय 10.35 बजे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त द्वारा FCI में नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगो से लाखो रूपये हड़प लेना व जमीन बैनामा कराने के नाम पर भी लाखो रुपया हड़प लेना।

1. मु0अ0सं0 232/2021 धारा 420/406/120B/504/506 भादवि वादी श्री सुधीर कुमार पुत्र मोतीचन्द्र निवासी विलारी (पोखरा टोला) थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 233/2021 धारा 420/406/120B/504/506 भादवि वादी श्री अजेन्द्र शेखर यादव S/O रामजी यादव निवासी रामजानकी नगर बशारतपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का विवरण निम्न प्रकार है -

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

संदीप चौहान पुत्र शिवचन्द्र चौहान निवासी ग्राम भौवापार चौबे / चौहान टोला थाना चौरी चौरा गोरखपुर उम्र 23 वर्ष
गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक - सरैया बाजार कर्मा बाबा मंदिर से समय 10.35 बजे

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार अवस्थी थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 रविसेन यादव चौरा जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 लल्लन यादव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
4. का0 संतोष मौर्या यादव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर